



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 116) पटना बुधवार 17 फरवरी 2021

सं0 03/Smart City-02-01/2021/05/न0वि0 एवं आ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

05 जनवरी 2021

विषय:- केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु गठित SPV कम्पनी (स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को नामित किये जाने की स्वीकृति।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-K-15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक-25.05.2016 द्वारा Smart City मिशन योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर, पत्र सं0-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-28.06.2017 द्वारा पटना शहर, पत्र सं0-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-28.06.2017 द्वारा मुजफ्फरपुर शहर एवं पत्र सं0-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-19.01.2018 द्वारा बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर शहर एवं बिहारशरीफ का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से चयनित शहरों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु SPV(Special Purpose Vehicle) के रूप में भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1871 दिनांक-05.09.2016/पटना स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-2261 दिनांक-05.10.2017 /मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-2262 दिनांक-05.10.2017 एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प संख्या-1067 दिनांक-27.04.2018 द्वारा किया गया था, जिसमें गठित SPV(Special Purpose Vehicle) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष के रूप में संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त को नामित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 5 वर्ष ही है। भारत सरकार द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी की स्वीकृति मई, 2016 को दी गई थी, जिसकी स्वीकृति के उपरांत 4 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, किन्तु अभी दो माह पूर्व तक भागलपुर में मात्र दो ही योजनाएं (प्राक्कलित राशि 60.29 करोड़ रुपए) शुरू हो पाई हैं। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की स्वीकृति जून, 2017 को दी गई थी, जिसकी अवधि 3 वर्ष 6 माह से अधिक हो चुकी है,

किन्तु एक महीने पूर्व तक वहाँ एक भी योजना शुरू नहीं की गई थी, जबकि अब योजना अवधि में मात्र डेढ़ वर्ष ही बचे हैं। मिशन अवधि(पाँच वर्ष) में इन योजनाओं के क्रियान्वित नहीं होने की स्थिति में इन योजनाओं के लिए केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित होना पड़ सकता है। इसी प्रकार बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी की स्वीकृति भी जनवरी, 2018 को दी गई थी, जिसकी अवधि भी 3 वर्ष हो चुकी है तथा पटना स्मार्ट सिटी की स्वीकृति भी जून 2017 में दी गई थी, किन्तु इनमें स्मार्ट सिटी के योजनाओं में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में संबंधित राज्य के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को संबंधित स्मार्ट सिटी कम्पनी का अध्यक्ष बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में योजना को ससमय पूर्ण करने एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी स्मार्ट सिटी (भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी) के SPV कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को नामित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-05.01.2021 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अतः केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु गठित SPV कम्पनी (स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को नामित किये जाने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना, तिरहुत एवं भागलपुर/जिला पदाधिकारी, पटना मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं नालन्दा/नगर आयुक्त, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
आनन्द शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 116-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>